



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 997/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-10-मा०सं०(04)/2006(टी०सी०-111)

दिनांक 17 अगस्त, 2011

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,  
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, तापीय विद्युत परियोजना,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
सोनभद्र/झॉसी/कासिमपुर(अलीगढ़)/कानपुर।

विषय:-निगमादेश संख्या: 291/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2010-10-मा०सं०(04)/2006 दिनांक 06.03.2010 के प्रस्तर-4 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में अर्हता श्रेणी के ऊपर का आवास आवंटित होने पर अथवा पूर्व आवंटित आवासों के किराये के सम्बन्ध में अधोवत् स्पष्ट किया जाता है।

1. अर्हता श्रेणी के ऊपर के आवासों का किराया आवंटित आवास के फ्लैट रेट रेंट एवं अर्हता श्रेणी के आवास के फ्लैट रेट रेंट की अन्तर्धनराशि का दो गुना होगा।
2. आवंटित आवास का किराया आवास अध्यासन की तिथि से उक्त संदर्भित निगमादेश के पूर्व का होने पर पूर्ववर्ती राविप के आदेशों में निहित प्राविधानानुसार तथा तत्पश्चात उक्त निगमादेश में निहित प्रतिधानों के अर्न्तगत लिया जायेगा।

भवदीय

(राजीव गोयल)

मुख्य अभियन्ता(मा०सं०)

संख्या: 997 (1)/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक, (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन इकाई, मा०सं०/वित्त एवं लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, सोनभद्र/कासिमपुर/अलीगढ़/झॉसी/कानपुर।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, (मु०) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से

(राजीव गोयल)

मुख्य अभियन्ता(मा०सं०)